न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर. ए. एस

मुकदमा नंबर 08/2020

सरकार बनाम 1. नेनाराम पुत्र फुसारामवगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः–.27.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम **गोपडी** के मूल खसरा संख्या 230 के बटा न कमशः 411/230, 413/230, 408/230 व 230 के खातेदारान है। वर्तमान लट्ठा ट्रेस में मूल खसरा संख्या 230 के कुल 11 बट्टा नम्बरान में से 1 बट्टा न0 खसरा न0 411/230 की तरमीम विद्यमान है। जो मौका अनुसार न होकर मौके से भिन्न है एवं उक्त तरमीम के कारण खसरा संख्या 230 के अन्य बट्टा न 413/230, 408/230 व 230 की तरमीम व मौका स्थित प्रभावित हो रही है जिस कारण पूर्व की तरमीम प्रथम दृष्टतसर त्रुटिपूर्ण है। अतः उक्त खसरा न0 411/230 की त्रुटिपूर्ण तरमीम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। ग्राम **गोपडी** के मूल खसरा संख्या 230 के बटा न कमशः 411/230, 413/230, 408/230 व 230 के खातेदारान है। वर्तमान लट्ठा ट्रेस में मूल खसरा संख्या 230 के कुल 11 बट्टा नम्बरान में से 1 बट्टा न0 खसरा न0 411/230 की तरमीम विद्यमान रहते खसरा सं, 413/230, 408/230 व 230 की तरमीम त्रुटि पूर्ण नहीं हो पा रही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है कि खसरा न0 411/230 की वर्तमान त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त कर प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। खसरा न0 411/230 का मौके अनुसार प्रसतावित नक्शा आदेश का हिस्सा रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .27.10.2020 को सुनाया गया

(रोहित कुमार)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner